"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2006—पौष 16, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-1-02/2005/एक/2.—डॉ. एच. एल. प्रजापति, भा.प्र.से. (1984) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, कृषि, गन्ना आयुक्त एवं संचालक पशुपालन को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन मण्डी बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/42/2001-एआईएस (I), दिनांक 15-3-2002 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-6 (1) के अंतर्गत श्री उजागर सिंह, भा.प्र.से. (K.L.1981) की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन को अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई थी. श्री उजागर सिंह, भा.प्र.से. (K.L. 1981) की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप उनकी सेवायें पैतृक संवर्ग (केरल शासन) को तत्काल प्रभाव से वापस लौटाई जाती है.

3. श्री शैलेष पाठक, भा.प्र.से. (1990) सचिव, महामहिम राज्यपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, भू-अभिलेख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 10-7/2005/1/5.—राज्य शासन श्री पुनुलाल मोहले, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा को छत्तीसगढ़ संसदीय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष घोषित करता है.

2. इस संबंध में इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 26-2-2005 एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ 1-1/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 कहलाएंगे.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

2. **परिभाषाएं :-**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) से है.

(ख) "धारा" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है.

(ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं.

3. धारा-6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र दस रुपये शुल्क नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा.

4. धारा-7 की उपधारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मूल्य नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :-

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपए,
(ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य, एवं
(ग) नमूना अथवा माडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य,
(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रुपए की शुल्क.

5. धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :-

(क) सी.डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति सी. डी. या फ्लापी, एवं
(ख) मुद्रित फार्म में सूचना के लिए प्रकाशन के लिए नियत कीमत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24/10/2005 द्वारा श्री आर. पी. जैन, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 31-10-2005 से 11-11-2005 तक (12 दिवस) स्वीकृत की गई अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3-11-2005 से 11-11-2005 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12 व 13-11-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग को दिनांक 27-12-2005 से 31-12-2005 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1 जनवरी, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/50/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21/11/2005 के द्वारा श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 27-9-2005 से 31-12-2005 तक (96 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम में श्रीमती बारिक को दिनांक 1-1-2006 से 8-2-2006 (39 दिवस) तक और प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/60/2004/1/2.—श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 19-12-2005 से 28-12-2005 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18-12-2005 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/7/2004/1/2.—डॉ. पी. राघवन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर को दिनांक 26-12-2005 से 13-1-2006 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 जनवरी, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. डॉ. राघवन, भा.प्र.से. के अवकाश अवधि में श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से., सदस्य, राजस्व मण्डल, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. राघवन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में डॉ. राघवन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राघवन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/10/2005/1/2.—श्री अजयपाल सिंह, भा.प्र.से., विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 22-12-2005 से 3-1-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/58/2004/1/2.—श्री पी. जॉय उम्मेन, भा.प्र.से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 24-12-2005 से 31-12-2005 तक (8 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही दिनांक 1-1-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री उम्मेन, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री उम्मेन, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उम्मेन, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7-30/2004/1/2.—श्री शैलेश पाठक, भा.प्र.से., राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर को दिनांक 26-12-2005 से 31-12-2005 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25-12-2005 एवं 1-1-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाठक, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाठक, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाठक, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पाठक के उक्त अवकाश अवधि में श्री अमिताभ जैन, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ राज्यपाल के सचिव, राजभवन का कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1505/25-2/आजावि/05/8664.—राज्य शासन एतद्द्वारा पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 81 पर अंकित "अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म" के आगे स्थित "अथवा बौद्ध धर्म (नव बौद्ध)" शब्द को विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1560/2005/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 के अध्याय 2-राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की धारा 3 (1) के अध्यधीन तीन सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है.

इस आयोग का मुख्यालय रायपुर होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, विशेष सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ [illegible]-01/2000/नौ/17.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि नियम, 1997 के नियम 3 के प्रावधान के तहत गठित, स[illegible]विनी कोष की राज्य स्तरीय समिति में निम्नांकित विधायकों को सदस्य नामांकित करता है :-

1. श्री देवजी भाई पटेल,
 विधायक धरसींवा,
 जिला रायपुर

2. श्री लच्छुराम कश्यप,
 विधायक, चित्रकोट,
 जिला-बस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

क्रमांक 2967/436/32/03.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 1765/436/945/आ. पर्या./32/2003 दिनांक 29-8-03 द्वारा जगदलपुर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना जगदलपुर के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	हाटकचोरा	71/5	1.00	पार्क	आवासीय
			1.42	शैक्षणिक	आवासीय
			0.43	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			0.46	स्वास्थ्य	आवासीय
			1.19	विशेषीकृत वाणिज्यिक	आवासीय
		कुल	4.50 एकड़		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा जगदलपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण जगदलपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 6/158/2005/वाक. (पं.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2003 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर, पंजीयन विभाग में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक 2 वर्ष की परिवीक्षा पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्त किया जाता है तथा उसे उसके नाम के सम्मुख दर्शाये खाना-4 में दर्शित जिले में पदस्थ किया जाता है:-

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	जिला जहां पदस्थ होंगे अर्थात् वेतन प्राप्त करेंगे	जिला जहां प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	कु. रेणुका श्रीवास्तव, द्वारा-श्री यू. पी. श्रीवास्तव, क्वा. नं. 8/बी, सड़क नं. 29, सेक्टर-4 भिलाई नगर, दुर्ग (छ.ग.)	धमतरी (छ.ग.)	रायपुर (छ.ग.)

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. यदि विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में, उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न होना पाया जाएगा तो उसकी सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उक्त अधिकारी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ पंजीयन तथा मुद्रांक सेवा (विज्ञप्त) भरती नियम, 1984 के प्रावधान लागू होंगे.

6. उपरोक्त पदाभिलाषी की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त पदाभिलाषी द्वारा नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा. बॉण्ड का प्रारूप संलग्न है.

9. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2005

क्रमांक 824/1246/24/2005.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम-2001 की धारा 4 के अनुसार राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के लिए इस विभाग के पत्र क्रमांक एच-7021/ज.सं.स./04, दिनांक 5 फरवरी, 2004 के द्वारा श्री प्रदीप मोईत्रा, ब्यूरो ऑफ चीफ हिन्दुस्तान टाईम्स एवं एच-1177/2001/ज.सं./2004, दिनांक 29 जुलाई 2005 द्वारा श्री अमित जैन, ब्यूरो ऑफ चीफ, आज तक, को सदस्य नियुक्त किया गया था, का रायपुर से बाहर स्थानांतर हो गया है. अतः इनकी सदस्यता रद्द की जाती है.

2. श्री सुनील नामदेव, आज तक एवं श्री जोसेफ सी. जॉन, यू.एन.आई. को उक्त समिति का एतद्द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2004 को गठित समिति के कार्यकाल तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2006 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-9-38/दो-गृह/05.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 23-1-2006 से रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 23-1-2006

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	सोमवार, दिनांक 23-1-2006	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

मंगलवार, दिनांक 24-1-2006

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-''ए'' आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-''बी''.	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-''सी''.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित)(नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	

मंगलवार, दिनांक 24-1-2006

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

बुधवार, दिनांक 25-1-2006

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों को ''व्यवहारिक परीक्षा''.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 25-1-2006

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
27.	पुलिस अधिकारियों की ''पुलिस शाखा'' प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व. हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिए.	

गुरुवार, दिनांक 26-1-2006 शासकीय अवकाश

शुक्रवार, दिनांक 27-1-2006

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
34.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
35.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शनिवार, दिनांक 28-1-2006	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी के लिये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि, कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
57.	प्रश्नपत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	रविवार, दिनांक 29-1-2006 अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 30-1-2006	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-3-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) दिनांक 8-5-2001 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-1/ह. स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर (सूची के दर्शाये अनुसार) को दिनांक 26-12-2005 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 9-7/16/2005.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक हिन्दुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट (एच.ई.आई.जी.) बोरई, जिला-दुर्ग द्वारा वर्ष 1992 में काम से वंचित 132 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान हैं.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टी हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अंतरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां, तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. कपूर, अपर मुख्य सचिव.

परिशिष्ट

क्रमांक (1)	श्रमिकों का नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	भर्ती तिथि (4)	काम से वंचित तिथि (5)
1.	देवकरण सिन्हा	बाबूलाल सिन्हा	01-01-91	जून 92
2.	गोपाल बघेल	गयाराम बघेल	13-08-91	1 जून 92
3.	लोकनाथ साहू	जैतूराम साहू	01-04-91	10 जून 92
4.	भगवंती प्रसाद	फेरू राम वर्मा	01-08-91	15 जून 92
5.	उमेश कुमार	मनबोध साहू	01-10-91	1 जून 92
6.	लोकचन्द पटेल	मनू पटेल	10-11-91	1 जून 92

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	प्रकाश चंद देशमुख	दुखित राम देशमुख	15-11-91	1 जून 92
8.	शिवकुमार कोसले	नीलकंठ कोसले	10-09-91	—"—
9.	कन्हैया लाल	झाडू राम साहू	01-08-91	—"—
10.	सतानंद सिंह राजपूत	रोहित राजपूत	01-07-91	—"—
11.	गंगाधर पटेल	निजाम पटेल	01-06-91	—"—
12.	गोविन्द राम	बिसाहू राम	02-07-91	—"—
13.	खिलावन साहू	गयाराम साहू	15-07-91	—"—
14.	तुकाराम सोनी	गुहाराम सोनी	15-02-91	—"—
15.	भागवत सिंह	श्रीराम कश्यप	01-05-91	—"—
16.	जगदीश प्रसाद	महावीर साहू	01-06-91	—"—
17.	मदन लाल साहू	झाडू राम	15-06-90	15 जून 92
18.	बिरेन्द्र कुमार	रेवाराम साहू	30-07-91	1 जून 92
19.	ईश्वरी यादव	जीवराखन यादव	15-08-91	—"—
20.	खेदू राम साहू	मंगलू साहू	01-06-91	10 जून 92
21.	गुहाराम सिन्हा	झाडू राम सिन्हा	25-05-91	15 जून 92
22.	लक्ष्मण सतनामी	चतरू राम सतनामी	25-06-91	1 जून 92
23.	धनराज देशलहरे	मंगल देशलहरे	13-03-91	—"—
24.	गणेश सोनी	रमेशर सोनी	01-05-91	—"—
25.	खेमलाल साहू	जैतूराम साहू	15-06-91	—"—
26.	संतराम पाटिला	दयाराम पाटिल	19-09-90	—"—
27.	भोलेश्वर	लस्सी राम	03-09-91	10 जून 92

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	धनुष राम साहू	बृजलाल साहू	15-10-91	1 जून 92
29.	मोरजध्वज साहू	दुखवा साहू	01-01-91	—''—
30.	लीलाराम साहू	सुखराम साहू	01-06-91	—''—
31.	राधेश्याम यादव	धनऊ राम यादव	15-09-91	—''—
32.	बैसाखु राम गोड़	ईतवारी गोड़	01-01-91	—''—
33.	लिखन लाल	जोगी राम वर्मा	01-08-91	—''—
34.	सतीष कुमार	रघुनाथ अग्रवाल	30-10-91	—''—
35.	रामेश्वर कचलाम	परदेशराम कचलाम	01-09-91	—''—
36.	मोहन लाल	पुरुषोत्तम जंघेल	01-06-91	—''—
37.	कृष्णा राम वर्मा	मनबोधी वर्मा	01-05-91	—''—
38.	रामदरश वर्मा	देवनाथ वर्मा	01-08-91	—''—
39.	मूलचन्द ठाकुर	लालचन्द ठाकुर	01-07-91	—''—
40.	लखन लाल गोड़	इन्दल गोड़	01-01-91	—''—
41.	हेमन्त कुमार	केजूराम निर्मलकर	01-05-91	—''—
42.	ठाकुर राम	मेहतर राम	01-01-91	—''—
43.	पिताम्बर ठाकुर	खोरबाहरा ठाकुर	15-08-91	—''—
44.	मंशाराम यादव	झुमुक लाल यादव	01 07-91	—''—
45.	दिगम्बर दास	रामदयाल साहू	05-01-91	—''—
46.	मेघनाथ साहू	जनक राम साहू	10-07-91	—''—
47.	गितुराम मंडावी	केशव राम मंडावी	12-08-91	—''—
48.	टिकम राम चंदेल	अमर सिंह चंदेल	01-10-91	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49.	गंभीर वर्मा	मंगल वर्मा	01-05-91	01-06-92
50.	जोगीराम पटेल	कार्तिक राम पटेल	01-10-91	—"—
51.	विजय कुमार शर्मा	राम खिलावन शर्मा	01-06-91	—"—
52.	लालचंद वर्मा	मंगलू राम वर्मा	12-05-91	—"—
53.	मनीराम सतनामी	मंगतू राम	09-08-91	—"—
54.	बलदू राम साहू	फिरंता राम साहू	13-06-91	—"—
55.	अजबदास निर्मलकर	फेरू राम निर्मलकर	01-01-91	—"—
56.	पुनीत राम साहू	रामरतन साहू	01-10-91	—"—
57.	डाकवर वर्मा	गुहाराम वर्मा	10-05-91	—"—
58.	चिन्ता राम साहू	अमर सिंह साहू	01-01-91	—"—
59.	भूषण लाल साहू	बोधन लाल साहू	12-05-91	—"—
60.	रेवाराम खरसाने	नम्मू राम खरसाने	20-10-91	—"—
61.	कोमल कुमार	गोवर्धन यादव	01-07-91	—"—
62.	हरिकीर्तन साहू	प्रेम सिंह साहू	01-09-91	—"—
63.	बबलू राम वर्मा	मेखूराम वर्मा	12-08-91	—"—
64.	किशन लाल वर्मा	लखन लाल वर्मा	01-06-91	—"—
65.	रमेश कुमार	नोहर यादव	20-09-91	—"—
66.	पुनी राम	लतेलु सतनामी	01-01-91	—"—
67.	दिलीप कुमार	बुधराम देशभरतार	01-06-91	—"—
68.	संजय कुमार	सालिक राम	01-05-91	—"—
69.	मदन लाल बैरवंशी	लादू राम	01-06-91	—"—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70.	कमलेश देवांगन	ठाकुर राम	01-08-91	01-06-92
71.	सडानंद सोनी	मेहतर सोनी	01-04-91	—"—
72.	प्रेमलाल गौतम	बंशीलाल	01-03-91	—"—
73.	हलाल खोर	किशन लाल	15-05-91	—"—
74.	भिमेन्द्र कुमार	राम भाऊ	01-04-91	—"—
75.	रतिराम साहू	दुलारू राम साहू	01-02-91	—"—
76.	रजऊ राम	प्रेमलाल देवांगन	01-05-91	—"—
77.	भोलाराम रात्रे	पंचराम रात्रे	01-06-91	—"—
78.	उमाकांत मेश्राम	सीताराम मेश्राम	10-05-91	—"—
79.	संतुराम वर्मा	बिन्दू राम वर्मा	20-08-91	—"—
80.	परसराम वर्मा	परदेशी राम वर्मा	15-01-91	—"—
81.	अंकालू राम सिंहा	दयालू राम सिंहा	01-09-91	—"—
82.	नम्मू राम साहू	खोरबाहरा राम	01-07-91	—"—
83.	अमर सिंह साहू	उभय राम साहू	01-06-91	—"—
84.	सांवत राम साहू	पुरूषोत्तम साहू	15-09-91	—"—
85.	मनराखन सतनामी	फेरहा सतनामी	01-01-91	—"—
86.	सांताराम देवांगन	बिसालिक राम	01-10-91	—"—
87.	अशोक कुमार	बिसालिक राम	01-10-91	—"—
88.	मनोहर साहू	घनश्याम साहू	15-11-91	—"—
89.	बसंत कुमार साहू	रामाधार साहू	01-08-91	—"—
90.	महेन्द्र कुमार	बानाजी साहू	01-01-91	—"—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91.	दाऊ लाल बैरबंशी	लादू राम	01-01-91	01-06-92
92.	पुरूषोत्तम सोनी	गेंदलाल सोनी	01-09-91	—"—
93.	उमेश कुमार साहू	तिहारू राम साहू	15-10-91	—"—
94.	रूपसिंह निषाद	बिसरू निषाद	01-11-91	—"—
95.	हीरालाल वर्मा	गुहाराम वर्मा	01-09-91	—"—
96.	कांशीराम वर्मा	हीराराम वर्मा	01-06-91	—"—
97.	राजेश वैष्णव	दयालदास वैष्णव	01-07-91	—"—
98.	मनबोध वर्मा	हीरालाल वर्मा	01-09-91	—"—
99.	प्रहलाद वैष्णव	कन्हैया वैष्णव	01-10-91	—"—
100.	बृजलाल वर्मा	लखन लाल वर्मा	—"—	—"—
101.	किशन लाल वर्मा	फेरू राम वर्मा	—"—	—"—
102.	रूपलाल	परदेशी राम	01-11-91	—"—
103.	आत्मा राम	बिदेशी राम	01-06-91	—"—
104.	नारद लाल वर्मा		01-05-91	—"—
105.	पिताम्बर देशमुख	सेवाराम देशमुख	01-08-91	—"—
106.	सजीवन चन्द्राकर	गोपाल चन्द्राकर	01-08-91	—"—
107.	धमेन्द्र कुमार लहरे		01-05-91	—"—
108.	धनऊ सतनामी	मंगलू सतनामी	01-05-91	—"—
109.	प्रताप सिंह	सेवाराम देशमुख	01-07-91	—"—
110.	नरोत्तम यदु	पंचुराम यदु	—"—	—"—
111.	महेन्द्र कुमार	अभिमन बड़गे	—"—	—"—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
112.	मंशाराम सिन्हा		01-06-91	01-06-92
113.	सुरेश कुमार	नवली सोनी	01-08-91	—"—
114.	महेश कुमार	लेड़गू राम	01-09-91	—"—
115.	ज्ञानेश्वर आड़ेल	चोवा राम	01-09-91	—"—
116.	धनेश कुमार	मंगल सिंह	01-08-91	—"—
117.	चंपा लाल साहू		01-07-91	—"—
118.	बोवा सोनी	परमानंद सोनी	01-11-91	—"—
119.	लोकनाथ साहू	परसू राम साहू	01-05-91	—"—
120.	गौतम वर्मा	रामसिंग वर्मा	01-04-91	—"—
121.	चेतन निषाद	डखरिया निषाद	01-05-91	—"—
122.	जैतराम वर्मा	राम विलास वर्मा	01-04-91	—"—
123.	भागवत वर्मा		01-04-91	—"—
124.	धनेश सतनामी		01-04-91	—"—
125.	तोरण लाल वर्मा	गुहाराम वर्मा	01-06-91	—"—
126.	शिव कुमार	गणेश सतनामी	01-09-91	—"—
127.	पंचूराम	बिजेलाल	16-03-91	—"—
128.	पन्ना लाल	धनेश देशमुख	02-05-91	—"—
129.	हिरेन्द्र कुमार	तारण दास	01-07-91	—"—
130.	रमेश कुमार	रामसिंह साहू	15-09-91	—"—
131.	श्याम लाल	भगवान दास	09-07-91	—"—
132.	मोहन लाल निषाद	परदेशी राम	01-09-91	—"—

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

संशोधन आदेश

क्रमांक 9681/3 (बी)/28/2005/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 9478/3 (बी)/28/2005, दिनांक 12-12-2005 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

"उक्त आदेश के पृष्ठांकन क्रमांक 1 की पांचवीं पंक्ति में टंकण त्रुटिवश श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव का गृह जिला बिलासपुर छ.ग. टंकित हो गया है उसके स्थान पर गृह जिला जांजगीर-चांपा पढ़ा जाये."

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

संशोधन आदेश

क्रमांक 9695/3 (बी)/38/2005/21-ब.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 9496/3 (बी)/28/2005, दिनांक 12-12-2005 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

"उक्त आदेश के पृष्ठांकन क्रमांक 1 की पांचवीं पंक्ति में टंकण त्रुटिवश श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी का गृह जिला जशपुर छ.ग. टंकित हो गया है उसके स्थान पर गृह जिला दुर्ग छ.ग. पढ़ा जाये."

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

फा. क्रमांक 9839/2038/21-ब/छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ओमप्रकाश बेरीवाल, लोक अभियोजक, रायगढ़, को दिनांक 1-8-2005 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि के लिए रायगढ़ जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

फा. क्रमांक 9840/2038/21-ब/छ.ग./05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पंचानन गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायगढ़, को दिनांक 1-8-2005 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि के लिए रायगढ़ जिले के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

क्रमांक 11014/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	सांकरा प.ह.नं. 06	2.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	माल्हेवारा जलाशय के अंतर्गत बांधपार हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक 11348/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	खम्हेरा प.ह.नं. 13	224.286	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	सूखानाला बॅराज निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक 11349/भू-अर्जन/2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	चिद्दो प.ह.नं. 13	1.678	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	सूखानाला बॅराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2005

क्रमांक 4/ अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	लखुत्राडीह	0.299	का. यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भैरवा जलाशय नहर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2005

क्रमांक 04/ अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	घुठियाँ	1.129	का. यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिगुआ जलाशय डुबान एवं नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2005

क्रमांक 04/ अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	खैरा	5.072	का. यंत्री,खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिगुआ जलाशय डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 3-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नगोई प.ह.नं. 1	0.546	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 4-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बिटकुली प.ह.नं. 1	2.694	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 5-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अटड्डा प.ह.नं. 3	6.267	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 6-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प.ह.नं. 7	0.384	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 7-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कुरवार प.ह.नं. 3	3.272	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 8-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सोढ़ाकला प.ह.नं. 3	0.919	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 9-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	करवा प.ह.नं. 4	0.963	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 10-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रिगरिगा प.ह.नं. 1	2.380	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 11-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोंडी प.ह.नं. 7	1.064	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 12-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	जरगा प.ह.नं. 3	1.140	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 13-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सल्का प.ह.नं. 7	1.545	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 14-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रिगरिगा प.ह.नं. 1	0.243	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 15-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	तुलुफ प.ह.नं. 1	1.061	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 16-अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प.ह.नं. 7	1.778	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 17-अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोनचरा प.ह.नं. 3	5.275	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

प्रकरण क्र. 18-अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प.ह.नं. 7	6.698	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005.

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	सुकुलपारा प.ह.नं. 21	0.032	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स चांपा संभाग, चांपा.	लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	पेंट फोरवा प.ह.नं. 6	0.210	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग चांपा संभाग, चांपा.	दारंगकड़ादी मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	जांजगीर प.ह.नं. 41	0.071	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स चांपा संभाग, चांपा.	जांजगीर-चांपा बाई पास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 दिसम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	चोरिया प.ह.नं. 3	0.300	कार्यपालन यंत्री, सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	चोरिया सड़क निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

क्रमांक/3351/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में).		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	लोतलोता प. ह. नं. 28	34.552	अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (सिविल) सुधार संभाग, छ.रा.वि.मं., कोरबा पश्चिम.	राखड़ बांध निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 31 अक्टूबर 2005

रा. प्र. क्र. 1 अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	देवीपुर	6.424	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	देवीपुर जलाशय के बांध, नहर एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	केशगंवां एवं खोडरी	0.809 0.374	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	पूटा जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	दरिमा	0.121	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के कोटेया माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./03/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	नौगई	0.235	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के लिबरा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./04/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	सकालो	1.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर.	सकालो जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./05/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	मोहनपुर	2.726	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर.	मोहनपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./06/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सोनबरसा	21.346	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./07/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	बकनाखुर्द	2.287	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2 अम्बिकापुर.	बकना जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./08/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कुबेरपुर	1.983	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./09/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	आरा	2.201	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2 अम्बिकापुर.	गागर परियोजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./22/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खानें (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	छिन्दकालो	0.392	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के छिन्दकालो सब माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./27/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लोसंगा	6.720	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1 अम्बिकापुर.	लोसंगा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./31/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवापारा	0.038	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के नवापारा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र./36/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	सुखरी	0.020	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के सुखरी सब माइनर क्रमांक-2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/11/अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	गोलाझर	0.73	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	अमरूवा जलाशय के अंतर्गत चांदन वितरण नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	देवरी (पारा मुगुलभाठा) प. ह. नं. 24	1.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कसडोल.	गोलाझर जलाशय का मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	देवरूंग प. ह. नं. 24	10.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कसडोल.	गोलाझर जलाशय का दायीं तट नहर एवं देवरूंग माइनर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/12/अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	अमरूवा	1.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	अमरूवा जलाशय के अंतर्गत चांदन वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1830/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	बेलडीह पठार प.ह.नं. 12	3.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ.ग.).	लमकेनी-सरायपाली जलाशय योजना के बायीं तट नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1831/अ.वि.अ./भू-अर्जन/अ/82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	छिर्रापाली प.ह.नं. 1	1.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ.ग.).	लमकेनी-सरायपाली जलाशय योजना के बायीं तट नहर के निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/10 अ/82, 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-पिसीद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.229 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
660/1	0.057
658/1	0.020
1097/3	0.008
1078/2	0.016
1077/1	0.048
1058	0.028
1059	0.012
1057/2	0.036
1057/1	0.004
योग 9	0.229

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बलार जलाशय की पिसीद शाखा नहर क्र.-01 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

क्रमांक/ 1265 /02 अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-ओरमा, प. ह. नं. 5/2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	244/2	0.01
	245/3	0.02
	246/1	0.05
	246/2	0.01
	254	0.07
	280/1	0.07
	283/1	0.01
	284/1	0.01
	285/2	0.01
	286/1	0.03
	311	0.01
	314/2	0.05
	315/3	0.04
योग		0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओरमा-सुन्दरा-भोथली पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

क्रमांक/1266/अ-82/2003-04 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुरूर
- (ग) नगर/ग्राम-कुलिया, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	96/1	0.03
	98	0.10
योग	2	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धमतरी बालोद मार्ग के कि. मी. 15/2 पर देवरानी जेठानी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

क्रमांक/1267/01 अ-82/2003-04 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-बालोद

(ग) नगर/ग्राम-सुन्दरा, प. ह. नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	336	0.01
	398	0.01
	404/2	0.01
योग	3	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओरमा-भोथली-सुन्दरा पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

क्रमांक 4/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजविक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-महोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-34.499 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
730	0.478
951	0.275
966/1	0.809
957	0.587
731	0.150
834/2	0.380
852/2	0.247
853/2	0.599
732	0.206
733	0.109
822	0.150
936/1	0.279
942/1	0.097
823/1	0.093
863/2	0.364
948/3	0.089
866/1	0.283
947/2	0.202
944/2	0.024
948/1	0.085
823/2	0.134
858/3	0.385
858/8	0.142
866/3	0.142
947/1	0.182
935/1	0.299
947/4	0.178
858/2	0.101
858/4	0.101
935/3	0.304
858/6	0.101
824/1	0.061
825/1	0.053
824/2	0.255

(1)	(2)
825/2	0.069
826/2	0.065
842/2	0.101
845/2	0.129
826/1	0.162
845/1	0.275
847	0.061
849	0.332
961/2	0.174
830/1	0.174
857/1	0.045
830/2	0.154
954/2	0.061
830/3	0.182
831	0.045
830/4	0.154
954/4	0.061
839/1	0.162
840/2	0.587
832/2	0.040
833	0.162
953/2	0.182
950	0.170
972	0.182
838	0.202
851	0.267
974	0.146
839/2	0.587
840/1	0.121
840/3	0.202
953/1	0.178
854	0.162
841/2	0.121
846	0.073
856	0.028
843	0.020
844	0.239
850	0.190
852/1	0.247
853/1	0.599
834/1	0.405
860	0.219
863/4	0.081
863/5	0.291

(1)	(2)
863/1	0.223
863/3	0.283
968	0.352
863/8	0.263
863/9	0.182
866/2	0.377
947/3	0.202
858/1	0.283
858/5	0.121
866/4	0.089
935/2	0.344
933	0.320
924/3	0.336
941/2	0.121
944/3	0.032
934	0.332
936/2	0.283
942/2	0.219
938/1	0.081
938/3	0.040
938/2	0.129
940/1	0.433
945	0.186
946	0.344
954/1	0.296
958	0.332
956/2	0.210
969	0.437
960	0.603
959	0.194
963	0.045
970	0.615
971	0.446
966/3	0.267
966/2	0.668
964	0.243
961/1	0.170
946/3	0.170
863/6, 7	0.445
841/1	0.089
837	0.380
956/1	0.134
967	0.308

(1)	(2)
859/3	0.219
862/2	0.291
864/1	0.194
865/1	0.101
949	0.219
832/4	0.255
832/3	0.178
842/1	0.154
848/1	0.065
855/1	0.061
955/1	0.121
842/3	0.150
848/2	0.061
946/2	0.170
962	0.300
940/2	0.182
940/3	0.154
955/2	0.134
832/1	0.150
855/2	0.065
939	0.190
965	0.020
948/2	0.085
858/7	0.283
944/3	0.032
859/2	0.219
859/1	0.405
862/1	0.275
864/2	0.279
865/2	0.109
941/1	0.190
944/4	0.024
952	1.061
954/3	0.061
858/9	0.344
योग	34.499

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बगड़ी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्रमांक 21/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
   (ख) तहसील-कोटा
   (ग) नगर/ग्राम-पंचरा, प.ह.नं. 5
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.178 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
264/1	0.178
योग	0.178

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपी नाला पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-मड़वामौहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.750 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72/2	0.016
75/2	0.405
92	0.417
101	0.299
102/3	0.028
89	0.053
90	0.506
91/2	0.020
94/1	0.765
73/1	0.510
99	0.089
104/1	0.255
73/2	0.405
105/1	0.040
106/2	0.024
94/2	0.040
96	0.166
97	0.008
100	0.040
98	0.219
102/4	0.024
105/2	0.283
106/3 क	0.146
योग	4.758

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरवा, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-झाबू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.281 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50	0.421
51/1	0.383
51/2	0.383
51/3	0.259
51/4	0.259
51/5	0.259
54	1.940
58	0.053
61/1	0.154

(1)	(2)
61/2	0.154
61/3	0.101
61/4	0.101
61/5	0.101
72	0.130
75	0.430
56	1.153
योग	6.281

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.533 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5/5	0.101
5/6	0.129
5/7	0.101
5/8	0.061
5/20	0.101
5/21	0.020
5/22	0.020
योग	0.533

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-लोतलोता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.640 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
377/2	0.081
378	0.397
387	0.186
388	0.040
389	0.020
379	0.251
380	0.332
381	0.170

(1)	(2)
383	0.024
385	0.332
391	0.061
392	0.113
395/1	0.109
395/2	0.053
398/1	0.073
398/2	0.202
399	0.196
योग	2.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2005

क्रमांक/2831/स्थापना/रा.मं./2005.—राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, मुख्यालय बिलासपुर एवं सर्किट कोर्ट जगदलपुर/रायपुर में उद्भूत होने वाले प्रकरणों के पंजीयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

1. राजस्व मण्डल के मुख्यालय एवं सर्किट कोर्ट रायपुर, जगदलपुर में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण एक ही पंजी में लगातार बढ़ते क्रम से पंजीबद्ध किये जायेंगे.

2. उपरोक्तानुसार प्रकरणों का पंजीयन दिनांक 1 जनवरी 2006 से प्रारंभ किया जायेगा.

3. राजस्व मण्डल को प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आवेदन पत्र मुख्यालय बिलासपुर, सर्किट कोर्ट रायपुर एवं जगदलपुर में प्रस्तुत किये जा सकते हैं इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षक के माध्यम से भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे.

4. उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आवेदन जिस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते हैं वहां से प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह के भीतर ऐसे आवेदन पत्र पंजीयन के लिये राजस्व मण्डल, मुख्यालय बिलासपुर में श्री एस. आर. राजपूत सहायक ग्रेड-2 को अनिवार्यत: प्रेषित किये जायेंगे. जिनके द्वारा प्रकरणों का पंजीयन कर संबंधित न्यायालय के प्रस्तुतकार को (अध्यक्ष/सदस्य मुख्यालय बिलासपुर, सर्किट कोर्ट रायपुर/जगदलपुर जैसी भी स्थिति हो) को एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे, श्री एस. आर. राजपूत को आवश्यकतानुसार सहयोग देने के लिये श्री दिवाकर राव ठवरे सहायक ग्रेड-3 राजस्व मण्डल, मुख्यालय बिलासपुर को आदेशित किया जाता है. ये कर्मचारी श्री एस. आर. राजपूत के मार्ग निर्देशन में कार्य करेंगे.

प्रतिमाह कम्प्यूटर में प्रकरणों से संबंधित जानकारी फीड कर अध्यक्ष/सदस्य के अवलोकन हेतु श्री दिवाकर राव ठवरे सहायक ग्रेड-3 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा. संबंधित कर्मचारी इसके साथ ही साथ पूर्व में सौंपे गये कार्य का भी संपादन करेंगे.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
अमृत लाल पाठक, सचिव.